# <u>न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला</u> भिण्ड मध्यप्रदेश

## पीठासीन अधिकारी- केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण कमांक 183/11 संस्थापित दिनांक 08/04/2011 मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

### बनाम

 हरचरन पुत्र कोकसिंह कुशवाह उम्र–24 साल व्यवसाय खेती निवासी ग्राम कनीपुरा पुलिस थाना गोहद चौराहा,जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

### <u>::- निर्णय -::</u>

### (आज दिनांक 03/11/14को घोषित किया)

- 1. आरोपीग पर भारतीय दंड विधान की धारा 304ए के अंतर्गत यह आरोप है कि दिनांक 13/11/10 के रात 9:30 बजे बारह बीधा हनुमान मंदिर के सामने आम रोड गोहद पर नेतराम को टककर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो मानववध की श्रेणी में नहीं आती।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियाद सुभाष ने दिनांक 13/11/10 के रात 9:30बजे करीब पुलिस थाना गोहद में उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिर्पोट की कि आज वह रात में मोटरसायकिल से गोहद चौराहा की तरफ जा रहा था जैस ही मोटरसायकिल बाराह बीघा हनुमान मंदिर के पास पहुची तो गोहद चौराहा की तरफ से एक अज्ञात टैक्टर का चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर और नेतराम की मोटरसायकिल में टककर मार दी जिससे उसका भाई वही गिर पडा उसे किसी के मोबाईल द्वारा सूचना दी । तब आया और उसे अस्पाल गोहद इलाज हेतु ले गये वहां पर डॉक्टर साहब द्वारा ग्वालियर रेफर कर दिया गया जहां पर उसकी रास्ते में ही मृत्यू हो गई
- 3. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद द्वारा अप0क0 243<u>/10</u> पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफतार किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत

#### अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 4. प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध धारा 304-ए के अंतर्गत आरोप विरचित कर आरोपी को सुनाये व समझाये गये तो उसने आरोपित आरोप करने से इंकार किया तथा विचारण चाहा। प्ली दर्ज की गई।
- 5. आरोपीगण को द0प्र0स0की धारा 313 के तहत प्रतिरक्षा परीक्षा में प्रवेश कराये जाने पर आरोपी ने बचाव में साक्ष्य न देते हुये यह तर्क दिया हैकि वह निर्दोष है उन्हें झूंठा फंसाया गया है।

### 6. प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह हैकि:-

 क्या आरोपी ने नेतराम को टककर मारकर ऐसी मृत्यु कारित की जो मानववध की कोटि में नही आती है।?

#### सकारण निष्कर्ष

- 7. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में सोबरन कुशवह आ0सा01,सुभाष कुशवाह आ0सा02,कमल उर्फ गुडडू आ0सा03,श्री कृष्ण कुशवाह आ0सा04,डॉ0आलोक शर्मा आ0सा05,श्यामकर्ण शर्मा आ0सा06 को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है।
- 8. सुभाष आ०सा०२ के द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचनारिपोर्ट लेखबद्ध कराई है। इस साक्षी का कहना हैिक नेतराम उसका छोटा भाई था जो सरकारी स्कूल में बाबू के पद पर पदस्थ था। उसे फोन से सूचना प्राप्त हुई तब वह बंधा के आगे हनुमान मंदिर के पास पहुचा वहां पर घ ायल अवस्था में नेतराम मिला किसी टैक्टर से उसका एक्सीडेट हुआ था जिसकी रिपोर्ट थाने परकी जो जो प्र0पी02 है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षरहै पुलिस ने नक्शा मौका बनाया जो प्र0पी03 काहै जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के कथनों से मात्र दुर्धटनाहोने का समर्थन होता है। वाहन चालक कौन था टैक्टर कौन सा था इसका स्पष्टीकरण साक्षी के कथनों से नहीं होता है।
- 9. सोबरनिसंह कुशवाह आ0सा01 का कहना हैकि उसका भाई नेतराम कुशवाह गोहद में शिक्षा विभाग में नौकरी करता था वह गोहद चौराहा जा रहा थारात में करीब 9:30 बजे बाहर बीधा हुनमान मंदिर के पास बंधा पर पहुचा तो एक टैक्टर चौराहा तरफ से चला आ रहा था उसने उसके भाई की मोटरसाइकिल में टककर मार दी साक्षी के कथनो से दुर्घटना का समर्थन होता है लेकिन टैक्टर चालक व टैक्टर के संबंध में साक्षी द्वारा न्यायालीन अभिलेख पर कथन न देने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया इसके बावजूद भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं कियाहैकि दुर्घटना के समय आरोपी हरचरन

वाहन को चला रहा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया हैकि हाटना के समय वह मौके पर नहीं था।

- 10. कमल उर्फ गुडडू आ0सा03का कहना हैकि 2,3साल पहले पहले कुशवाह होटल पर खाना खाने गया था जब वह हनुमान मंदिर के पास पहुंचा तो गोहद चौराहा की तरफ से एक अज्ञात वाहन आया उससे नेतराम कुशवाह की मोटरसाइकिल का एक्सीडेट हो गया एक्सीडेट के बाद नेतराम की मृत्यु हो गई साक्षी ने शेष घटनाकम से अनिभज्ञता जाहिर की है साक्षी को अभियाजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक पश्रन पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैकि आरोपी ने वाहन को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाकर दूर्घटना कारित की थी।
- 11. श्रीकृष्ण कुशवाह आ0सा04 काकहना हैकि 3,4 साल पहले की घटना है। नेतराम उसका चचेरा भाई है जो शिक्षा विभाग में एल0डी0सी0के पद पर कार्यरत है। नेतराम के भाई सुभाष,सोबरन के पास फोन आया था कि नेतराम का एक्सीडेट किसी टैक्टर से हो गया है। उक्त एक्सीडेट कैसे हुआ इसकी साक्षी को जानकारी नहीं है। साक्षी के कथनों से घटित दुर्घटना का समर्थन होता है लेकिन दुर्घटना कैसे घटित हुई वाहन को कौन चला रहाथा इस साक्षी के कथनों से किसी तथ्य का समर्थन नहीं होताहै।
- डॉ0आलोक शर्मा आ०सा०५ का कहनाहैकि 14/11/10 को सी0एच0सी0गोहद में मेडीकल आफीसर के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को उसने नेतराम के शव का परीक्षण किया था । परीक्षण के दौरान मृतक के दोनो पैरो व बाये भुजा पर पटटी बंधी थी दायी जाघ के नीचे एक तिहाई भाग में 15बाई4बाई 1 से0मी0 का फटा हुआ घाव था तथा बाये पैर के नीचे एक तिहाई भाग में फटा हुआ घाव 8 बाई 3बाई 2 से0मी0 का था बायी भुजा के उपर एक तिहाई भाग में विकृति की थी व सीने में दायी तरफ 4 बाई 20 से0मी0 का नील का निशान था। दाये पंजे पर एक बाई .5बाई.3 से0मी0 का फटा हुआ घाव था। आन्तरिक परीक्षण में मृतक के फेफड़े मुह तथा गाँस नली व प्लीहा,गुर्दा,श्वास थे उसकी दायी फीमर,बायी टीबियाँ व फिवलाबाई हुमरस व दायी दूसरी,तीसरी पसली टूटी हुई थी। मृतक की मृत्युके संबंध में साक्षी ने यह अभिमत दिया हैकि मृत्य टूटी हिडयों के द्वारा अत्यधिक रक्तश्राव होने से हुई जिसका शव परीक्षण तैयार किया गया जो प्र0पी07 का है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के कथनों से नेतराम के शवपरीक्षण रिपोर्ट प्र0पी08 का समर्थन होता है।
- 13. रामकरन शर्मा आ०सा०६ का कहना हैकि दिनांक 14/11/10 को पुलिस थाना गोहद में प्र0आर० के पद पर पदस्थ था <u>अप०क०२४३/10</u> धारा 279,337,304ए भा०द०वि०की एफ०आई०आर०विवेचना हेतु प्राप्त हुई

थी उसने घटना स्थल पर पहुचकर घटना स्थल का नक्शामौका तैयार किया जो प्र0पी03 काहैजिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। फिरयादी सुभाष कुशवाह के कथन लेखबद्ध कर मौके से उसकी मोटरसाइकिल एम0पी030बी0.6927 को जप्त करजप्तीपत्रक तैयार किया जो प्र0पी08 का है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी कमल उर्फ गुडडू, सोबरनिसंह, श्रीकृष्ण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे मृतक नेतराम कुशवाह की नक्शा पंचायतनामा की कार्यवाही हेतु नोटिस प्र0पी09 का जारी किया था जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा साक्षीगण के समक्ष लाश का पंचायतनामा बनाया जो प्र0पी010 का है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के द्वारा प्रकरण में अनुसंघान किया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी के कथनों में इस प्रकार की कोई सारगर्वित भिन्नता नही पाई गई जिससे साक्षी के द्वारा किया गया अनुसंघान प्रदूषित होता है। लेकिन इस साक्षी के कथनों से प्रकरण के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुचा जा सकता है।

- 14 प्रकरण में सोबरन कुशवाह आ0सा01,सुभाष कुशवाह आ0सा02,कमल उर्फ गुडडे आ0सा03,श्रीकृष्ण आ0सा04 उक्त साक्षी घटना के चक्षुदर्शी साक्षी होकर स्वतंत्र साक्षी है अन्य कोई घटना का स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उक्त साक्षियों के द्वारा न्यायालय के समक्ष इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैकि उन्होंने आरोपी को वाहन को चलाते हुये देखा था किसी भी साक्षी के कथनों से वाहन चालक की पहचान लेसमात्र भी सुनिश्चित नहीं होती है।
- 15. प्रकरण में परीक्षित साक्षियों के कथनों से वाहन चालक की पहचान पूर्णतः अप्रमाणित पाई गई किसी भी साक्षियों के कथनों से यह तथ्य प्रमाणित नहीं हैकि आरोपी हरचरन द्वारा वाहन को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित की थी।
- 16. प्रकरण में वाहनचालक की पहचान पूर्णतः अप्रमाणित है ऐसी स्थिति में आरोपी के विरूद्ध आरोपित आरोप भा0द0वि0की घारा 304ए का अपराध आरोपी के विरूद्ध प्रमाणित नहीं कहा जा सकता । अतः आरोपी को भा0द0वि0की घारा304ए के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाताहै आरोपी के जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किये जाते है।
- 17. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल व टैक्टर पूर्व से सुपुदगी पर है अतः सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात स्वमेव निरस्त किया जावे। अपील होने पर अपीलीय न्यायालय के अनुसार सम्पत्ति निराकृत की जाये।
- 18. प्रकरण में धाारा 428 द0प्र0स का प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

प्रकरण में पूव में ही धारा 437एद0प्र0स0के तहत जमानत प्रस्तुत कर दी गई है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता0सही जे0एम0एफ0सी0गोहद जिलाभिण्ड

हस्ता0सही जे०एम०एफ०सी०गोहद जिलाभिण्ड